

तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

तारीख रज. 19-2-18 रिपोर्ट पटवारी हल्का ~~काली~~ बनाम
 पुत्र ~~मेहराम~~ जाति ~~मीरा~~ निवासी ~~काली~~ तहसील

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956


निर्णय

दिनांक 27-2-18

आज यह पत्रावली बमुकाम ~~मेहराम~~ हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री ~~गोदामल~~ ने ग्राम ~~काली~~ को भूमि ख.न. 331 रकबा 0.15² किस्म ~~चारागाह~~ फसल रबि / खरीफ संवत 2074 में ~~खरीफ~~ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 331 रकबा 0.15 किस्म ~~चारागाह~~ वाके ग्राम ~~काली~~ से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 6.60 रु. 50 गुणा 330= शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल ~~खरीफ~~ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को ~~बूट~~ / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 तहसीलदार
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 27 पर
 वर्ष 2017-18 की राशि का
 की जमा ~~330 रु.~~
 दिनांक : 5/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
 तहसील-महवा